राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 9(84)राज–6/07/130 जयपुर, दिनांक 9.10.2007

परिपत्र

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5–ए में आक्षेपों की सुनवाई के प्रावधान उपलब्ध है। यदि किसी ऐसे हितबद्ध व्यक्ति जिसकी भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 उपधारा–1 के अधीन अधिसूचना जारी की जाकर किसी लोक प्रयोजन या किसी कम्पनी के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन के बाबत् अधिसूचना जारी की जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में धारा 4(1) के अधीन नोटिस की अधिसूचना की दिनांक के 30 दिन के अन्दर–अन्दर आक्षेपकर्ता स्वयं अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति आक्षेप जिला कलेक्टर को कर सकते है और जिला कलेक्टर उनको व्यक्तिशः नोटिस देकर सुनवाई करेंगे। धारा 5–ए के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्ति उसे समझा जायेगा जिसकी भूमि यदि अर्जित हो जाती है तो भूमि के बदले में अपने हित के दावे करने का हकदार होगा।

समस्त जिला कलेक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 5–ए के संबंध में जिला कलेक्टर को हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आक्षेप प्रस्तुत किये जाने पर हितबद्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस दें और मौके का स्वयं निरीक्षण करें तथा हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों की स्वयं सुनवाई करें ताकि सही स्थिति का आंकलन किया जा सके। हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकुल है। यदि हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आक्षेप विलम्ब से प्रस्तुत किये जाते है तो उनपर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि विलम्ब से प्राप्त हुये आक्षेपों पर विचार करने से 2 वर्ष के भीतर भूमि अर्जन संबंधी पूरी प्रकिया करना असंभव हो जायेगा।

अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत धारा 5–ए के प्रावधानों के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जावे तथा मौके का निरीक्षण किये जाने के पश्चात् आक्षेपों का निस्तारण किया जावे।

9.X.07
(के.जी. अग्रवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. समस्त भूमि अवाप्ति अधिकारी, राजस्थान।

9.X.07
उप शासन सचिव